दलितों के अधिकार

*न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान का अनुच्छेद–14 में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद–15(4) के अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षिणक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद–16(4) के अनुसार राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के लिए उपबन्ध का अधिकार है। अनुच्छेद–17 के अनुसार 'अस्पृश्यता' (Untouchability) का अन्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्व किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद–43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के प्रावधान है। अनुच्छेद–45 में छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबन्ध है। अनुच्छेद–46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्वि के प्रावधान है। अनुच्छेद– 243डी में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान

आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद–243टी नगरपालिकाओं में आरक्षण के प्रावधान है। अनुच्छेद– 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद–332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा। अनुच्छेद– 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जायेगा। अनुच्छेद– 338ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जायेगा। अनुच्छेद– 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण का प्रावधान है। अनुच्छेद–340 में पिछड़े वर्गो की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है।

संविधान की इसी पवित्र परिकल्पना को लेकर दलितों के कल्याण के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक अधिनियम संसद और विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये है, जिनमें कुछ अधिनियमों के मुख्य–मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैः–

1– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

धारा–3 अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड– कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा,
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ौस में, मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक

पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा,

3. शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमायेगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरूद्व है,

4. किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा,

5. उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा,

6. बेगार, बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा,

7. मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा,

8. मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा,

9. किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या, तुच्छ, जानकारी देगा जिस से क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग कराऐगा,

10. जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा,

11. किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा,

12. किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए,

जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होगी, करेगा,

13. किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, दूषित या गन्दा करेगा जिस से कम उपयुक्त हो जाये,

14. किसी सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाऐगा,

15. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा।

उपरोक्त सभी अपराधों के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 3(2)(v) के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष या उसके अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्व करेगा, तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा। धारा–3(vii) के अनुसार लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा। धारा–5 में पश्चात्वर्ती दोषसिद्वि के लिए वर्धित दण्ड के प्रावधान है। धारा–7 के अनुसार, जहॉ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया है, वहॉ विशेष न्यायालय कोई दण्ड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति स्थावर या जंगम या दोनों, जिनका उस अपराध को करने

में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी। धारा–8 में अपराधों के बारे में उपधारणा है। एक्ट के अध्याय–3 में निष्कासन के प्रावधान है। अध्याय–4 में विशेष न्यायालय गठित किए जा सकते है। धारा–16 के अनुसार राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति है। धारा–18 में अग्रिम जमानत के प्रावधान समाप्त किए है। धारा–19 में अपराधी को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जायेगा। धारा–21 में राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चत करें।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

धारा–42 के अनुसार, खातेदार काश्तकार द्वारा अपने पूरे भूमि क्षेत्र में या उसके किसी भाग में अपने हित की बिक्री, दान (गिफ्ट) या वसीयत शून्य होगी यदि, उक्त बिक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो।

धारा– 183 कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली :

(1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देने का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के उपबन्धों के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

छूआछूत विरोधी कानून, 1955

भारत के संविधान में हर नागरिक को एक समान माना गया है। किसी व्यक्ति को किसी खास जाति में पैदा होने के कारण उसे अछूत मानकर जो दूरी का व्यवहार किया जाता है। वो छूआछूत कहलाता है व मानवता पर कलंक है। इसके लिए छूआछूत रोकने के लिए छूआछूत विरोधी कानून बनाया गया है। इससे नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। छूआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोकटोक लगाने वाले को सजा दी जाती है । समाज में सभी को बराबरी से रहने का हक है। सार्वजनिक चीजें जैसे कुएं, तालाब आदि के इस्तेमाल पर हर जाति के लोगों को हक है और रोकने पर अपराध माना गया है व एक साल की सजा व पाँच सौ रूपये तक जुर्माना हो सकता है। बार–बार अपराध करने पर सजा हर बार बढ़ सकती है।

मानव अधिकारों के प्रति साक्षरता, जागरूकता में निरन्तरता के क्रम में मेरा यह एक ओर लघु प्रयास है। इस नवीं कड़ी के माध्यम से आयोग अपनी इस बुकलेट के द्वारा **''दलितों के अधिकार''** जनहित में प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित कर रहा है। आशा है उपरोक्त कानूनी जानकारी होने पर दलितों व कमजोर वर्गो के मानवाधिकारों के हनन को रोकने में मदद मिलेगी। ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट। आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 9/2006

दलितों के अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

दलितों के अधिकार

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.

*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.

8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।
    - (ix) दलितों के अधिकार।
    - (x) मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।

STATES HUMAN RIGHT CHAIRPERSON NAME, PHONE NO. & ADDRESS LIST

S.No	Chairperson Name	State	Address	Phone No.	E-Mail Address
	Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand	NHRC, New Delhi	NHRC, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110001	91-11-23382514	chairnhrc@nic.in
1.	Justice Shri B. Subhashan Reddy	Andhra Pradesh	"Gruhakalpa" M.J. Road, Hyderabad - 500001	040- 24601574	umanrights@ap.nic.in
2.	Justice Shri Sailendu Nath Phukan	Assam	Statfed H.O. Building, Bhangagarh Guwahati - 781005	0361-2527076	hrca@sancharnet.in
3.	Justice Shri Ali Mohammad Mir	Jammu & Kashmir	Dawn Building, Dalgate, Srinagar- 11901	0194- 2454046	
4.	Justice Shri V.P. Mohan Kumar Acting Chairperson	Kerala	M.P. Appan Road, Vazhuthacaud Thiruvananthapuram - 695014	0471- 2337145	kshrctvpm@vsnl.net
5.	Justice Shri D.M. Dharmadhikari	Madhya Pradesh	Paryavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal - 462001	0755- 2764505	mphrc@sancharne.in
6.	Shri C.L. Thool Acting Chairperson	Maharashtra	9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway station, Mumbai- 400001	022- 22078962	
7.	Justice Shri W.A. Shishak	Manipur	Courts Complex, Lamphel, Imphal - 795004	0385 - 2410473	mhrc@man.nic.in
8.	Justice Shri D.P. Mohapatra	Orissa	Orissa State guest house, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa	0674- 2563746	2405094
9.	Justice Shri R.L. Anand Acting Chairperson	Punjab	SCO No. 20,21,22, Sector 34A, Chandigarh - 160001	0712 - 2600501	
10.	Justice Thiru S. Thangaraj Acting Chairperson	Tamil Nadu	Justice Pratap Singh Maaligai , 2nd floor, No. 35, Vi-Ka-Salai. Royapettah, Chennai – 600014	28114405	
11.	Justice Shri A.P. Mishra	Uttar Pradesh	1/183, Vineet Khand Gomati Nagar, Lucknow - 226010	0522- 2726742	phrc@sancharnet.net
12.	Justice Shri Shymal Kumar Sen	West Bengal	Bhabani Bhawan, Alipore Kolkata - 700027	033 - 24797259	bhrc@cal3.vsnl.net.in
13.	Shri Lal Jayaditya Singh Acting Chairperson	Chhatisgarh	Near Mantralaya, Raipur- 492001	0771 - 2235524	cghrcryp@sify.com
14.	Justice Shri N.K. Jain	Rajasthan	State Secretariat, S.S.O. Building Jaipur-302005	0141- 2227868	rshrc@raj.nic.in

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का पुर्नसंगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव
	श्री रामजीलाल मीणा	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in, Website : www.rshrc.nic.in